प्रेस के लिए सूचना पत्र (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 76/2019)

तुरंत जारी करने के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भादूविप्रा ने ''दूरसंचार लाइसेंसों के हस्तांतरण/विलय के दिशानिर्देशों में सुधार करना' पर परामर्श पत्र जारी किया।

नई दिल्ली, 19 सितंबर, 2019 – भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने आज ''दूरसंचार लाइसेंसों के हस्तांतरण/विलय के दिशानिर्देशों में सुधार करना' पर परामर्श पत्र जारी किया।

2. दूरसंचार विभाग ने दिनांक 8 मई, 2019 के अपने पत्र द्वारा अन्य बातों के साथ–साथ सूचित किया है कि राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति, 2018 में कार्यनीतियों में से एक के रूप में अनुपालन दायित्वों को सुगम और सुविधाजनक बनाने और विलय एवं अधिग्रहण, 2014 के दिशानिर्देशों में सुधार की संकल्पना की गई है ताकि कार्यनीति को पूरा करने की कार्य योजना में से एक के रूप में स्वीकृति को आसान और तेज बनाया जा सकें। उक्त पत्र के अनुसार, दूरसंचार विभाग ने 'विलय एवं अधिग्रहण, 2014 संबंधी दिशानिर्देशों में सुधार' पर भादूविप्रा से सिफारिशें प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है।

3. तदनुसार, ''दूरसंचार लाइसेंसों के हस्तांतरण/विलय के दिशानिर्देशों में सुधार करना' पर परामर्श पत्र जारी किया गया है, जिसमें पृष्ठभूमि सूचना मुहैया कराई गई है और स्वीकृतियों को आसान और फास्ट ट्रेकिंग को सुगम बनाने के लिए लाइसेंसों के हस्तांतरण/विलय संबंधी मौजूदा दिशानिर्देशों के लिए अपेक्षित सुधारों पर हितधारकों से टिप्पणियां मांगी गई हैं। परामर्श पत्र में उठाए गए मुद्दों पर हितधारकों की लिखित टिप्पणियां 18 अक्टूबर, 2019 तक और प्रति–टिप्पणियां 1 नवंबर, 2019 तक मांगी गई हैं।

4. टिप्पणियां व प्रति–टिप्पणियां इलेक्ट्रॉनिक रूप में ईमेलः– advmn@trai.gov.in पर भेजें। किसी भी स्पष्टीकरण/सूचना के लिए श्री एस. टी. अब्बास, सलाहकार (नेटवर्क, स्पेक्ट्रम व लाइसेंसिंग), भादूविप्रा से टेलीफोन नंबर +91–11–23210481 द्वारा संपर्क किया जा सकता है।

(एस. के. गुप्ता)
सचिव, भादूविप्रा

अस्वीकरण: यह विज्ञप्ति / निविदा मूलरूप से अंग्रेजी में लिखित विज्ञप्ति / निविदा का हिंदी अनुवाद हैं। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित यह विज्ञप्ति / निविदा मान्य होगी।